कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2021—2022

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति/सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई—निविदा

(चतुर्थ आमंत्रण)

निविदा क्रमांक—40/2021—22

कीमत रू. 1000/—

(रूपये एक हजार मात्र)

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क्र 40/2021–22

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	19.01.2022 11.00 AM	01.02.2022 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	19.01.2022 11.00 AM	01.02.2022 05.00 PM	
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	04.02.2022 12.35 PM	–	
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	–	

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104, +91–9179705483, +91–9644695933, +91–9425471040

पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–

1. अमानत राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 19–20 (एसेसमेंट ईअर 2019–20 एवं 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराईज्ड घोषणा पत्र
6. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
7. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
8. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 05.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019–20,(एसेसमेंट ईयर 2020–21) सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
9. एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
10. पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन दिनांक के पश्चात् जारी किया गया हो।
11. खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।

17/1/22

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति/सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई–निविदा हेतु नियम एवं शर्ते

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से **सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति/सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था** हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 1000.00 (एक हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 20,000/–(बीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार होगी, उसे अनुबंध के साथ रू. 50,000/(पचास हजार मात्र) का डीडी अमानत राशि के रूप में जो **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एंव अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा** के नाम से देय हो जमा करनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागज़ातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय हित में निविदा समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने एवं निविदा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
8. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. निविदा की अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। विशेष परिस्थितियों में निविदा की अविधि बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।
10. **कैन्टीन का आरक्षित न्यूनतम किराया (मिनिमम रिजर्व मंथली रेन्ट) राशि रू. 25000.00 (पच्चीस हजार) (पानी शामिल) प्रतिमाह एसजीएचएच एंव एसएसबी को मिलाकर, जिस नि. विदाकार की किराया दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।** किराया की राशि अग्रिम के रूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक स्वशासी निधि में जमा करना अनिवार्य होगा। 05 तारीख तक जमा न करने की दशा में अगले दिन से 100 रू प्रतिदिन आर्थिक दण्ड देना होगा।
11. निविदाकार को फर्नीचर एवं बैठक व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
12. सभी को कंप्यूटराईज बिल देना अनिवार्य होगा।
13. **निविदाकार को स्वयं के व्यय पर विद्युत की खपत हेतु सबमीटर लगवाना होगा। मीटर में दर्ज विद्युत खपत के आधार पर उपयंत्री लोनिवि(वि/यां) द्वारा राशि आंकलित की जावेगी। आंकलित राशि स्वशासी निधि में जमा करनी होगी। विद्युत सबमीटर लगाने के उपरांत ही कैंटीन का संचालन प्रारंभ करना होगा।**

12/1/22

14. कैन्टीन के रखरखाव एवं साफ सफाई की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भवन में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ किए जाने पर धरोहर राशि से मेन्टेनेस की राशि काट ली जावेगी।
15. कैन्टीन में चिकित्सकों, कर्मचारियों, छात्रों एवं सामान्य जनों हेतु बैठक व्यवस्था पृथक पृथक होगी।
16. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ ड्रेस कोड का पालन करना होगा। रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एप्रेन एंव मास्क तथा टोपी लगाना अनिवार्य होगा।
17. कैन्टीन को वातानुकूलित बनाने हेतु सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निविदाकार को करनी होगी।
18. कैन्टीन प्रातः 05 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खुली रहेगी, परंतु चाय की व्यवस्था 24 घंटे करनी होगी।
19. निविदाकार को गर्म खाद्य पदार्थों हेतु माइक्रोवेव ओवेन/वार्म डिस्पेन्सर लगाना अनिवार्य होगा।
20. निविदाकार को सभी खाद्य पदार्थ गरम और ताजे उपलब्ध कराने होंगे तथा ताजे बने उत्पादों जैसे समोसा, चाय हेतु पेपर कप एवं प्लेट का उपयोग कराना होगा। म्यूनिसिपल वेस्ट हेतु डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा तथा नगर निगम के निर्धारित तरीके से डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
21. निविदाकार को जल्द खराब होने वाले आईटम/शीतल पेय/पैक्ड जूस को सुरक्षित रखने हेतु स्वयं के व्यय पर कामर्शियल फ्रिज की व्यवस्था करनी होगी।
22. किसी भी पैक्ड आईटम जैसे– चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ/शीतल पेय एवं मिनरल वाटर प्रिंट रेट अथवा उससे कम में ही उपलब्ध कराना होगा। अधिक राशि की वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा तथा सुधार न होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी। निविदाकार को बेचे जाने वाले खाद्य सामग्री की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
23. कार्य संतोषजनक न होने पर एक वर्ष के पूर्व भी एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कराया जा सकेगा।
24. पानी स्वच्छ एवं जीवाणुरहित होना चाहिए। इस हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय पर आर.ओ. वाटर सिस्टम लगाना होगा।
25. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेशित करने पर कार्य न करने की दशा में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
26. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाल श्रमिक किसी भी दशा में कार्य पर नही लगाए जावेंगे।
27. निविदा की शर्तें भलीभॉति पढ एंव समझने के पश्चात् ही निविदा भरी जावे। निविदा में मांगे गए सभी दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर निविदा निरस्त की जावेगी।
28. कैन्टीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची एवं दर पर ही विकय करने की अनिवार्यता होगी।
29. कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत कंटीन संचालन में समस्त प्रोटोकॉल का पालन सभी कर्मचारियों एंव आगंतुकों के लिए अनिवार्य एंव बंधनकारी होगा। इस हेतु आवश्यक समस्त व्यवस्थाएं निविदाकार को स्वयं करनी होगी। पालन न होने की दशा में निविदाकार सीधे तौर पर उत्तरदायी होगा।

17/1/22

30. दरें निम्नानुसार होंगी:–

Sr. No.	ITEM	Maximum RATE (IN RS.)
1.	गरम कॉफी फुल कप	20-00
2.	गरम कॉफी हाफ कप	10-00
3.	चाय फुल कप	10-00
4.	चाय हाफ कप	05-00
5.	समोसा एक नग 150 ग्राम	07-00
6.	आलू बंडा एक नग 150 ग्राम	07-00
7.	कचौरी एक नग 150 ग्राम	07-00
8.	बटर टोस्ट लार्ज ब्रेड	50-00
9.	फ्रेंच टोस्ट	60-00
10.	बटर ब्रेड	30-00
11.	पोहा	10-00
12.	लस्सी एक गिलास	20-00
13.	मट्ठा	10-00 अथवा एम.आर.पी
14.	मैंगो शेक	40-00
15.	पाईनएप्पल शेक /मिक्स	40-00
16.	मिल्क शेक	35-00
17.	कोल्ड ड्रिंक	MRP
18.	आइस कीम	MRP
19.	मसाला डोसा	60-00
20.	सादा डोसा	50-00
21.	दही बड़ा (2 पीस)	30-00
22.	वेज सैंडविच	40-00
23.	उबला अंडा (2 पीस)	15-00
24.	आमलेट 2 अंडे	20-00
25.	छोला भटूरा	70-00
26.	वेजेटेबल सूप/कॉर्न सूप/चायनीज	40-00
27.	टोमेटो सूप	30-00
28.	हॉट एण्ड सॉर सूप	20-00
29.	बॉइल्ड राइस फुल लोंग ग्रेन	60-00
30.	बॉइल्ड राइस हाफ लोंग ग्रेन	40-00
31.	फाइड राईस चायनीज	80-00
32.	फाइड राईस चायनीज हाफ	50-00
33.	जीरा राईस फ्राईड फुल	80-00
34.	जीरा राईस फ्राईड हाफ	50-00
35.	तवा रोटी	06-00
36.	तवा रोटी विथ बटर	10-00
37.	सादा पराठा अचार के साथ	20-00
38.	आलू पराठा दही के साथ	30-00
39.	दाल प्लेन फुल	60-00
40.	दाल फ्राईड फुल	100-00
41.	दाल फ्राईड हाफ	60-00
42.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी फुल	100-00
43.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी हाफ	60-00
44.	मटर पनीर फुल	140-00
45.	शाही पनीर	140-00
46.	मषरूम चिली	140-00
47.	पनीर चिली	140-00
48.	बटर पनीर मसाला	140-00
49.	मटर पनीर हाफ	75-00

50.	गोभी आलू फुल	100-00
51.	गोभी आलू हाफ	50-00
52.	छोले / राजमा राईस	80-00
53.	मंचूरियन / फ्राईड राइस	100-00
54.	राईस एग करी	100-00
55.	दही फुल क्रीम 250 ग्राम	50-00
56.	रायता फुल	60-00
57.	सलाद फुल	60-00
58.	सलाद हाफ	35-00
59.	पापड़	7-00
60.	पापड़ फ्राइड	10-00
61.	अंडा करी 2 अंडे	60-00
62.	वेज स्प्रिंग रोल	100-00
63.	चाउमीन फुल	60-00
64.	चाउमीन हाफ	40-00
65.	मैगी प्लेन	30-00
66.	मिक्स वेज मैगी	50-00
67.	फेंच फ्राईस	50-00
68.	मंचूरियन फुल	100-00
69.	मंचूरियन हाफ	60-00
70.	पोटेटो वेजेस	60-00
71.	वेजिटेबल पिज्जा	100-00
72.	एग सेंडविच	60-00
73.	आलू टोस्टर	50-00
74.	एग भुर्जी	60-00
75.	वेजेटेबल उपमा	50-00
76.	वेज उत्थपम	60-00
77.	आलू मटर	60-00
78.	पनीर भुर्जी	80-00
79.	पुलाव वेज	120-00
80.	पुलाव पनीर	125-00
81.	वेज विरयानी	100-00
82.	एग विरयानी	120-00
83.	खिचड़ा	100-00
84.	अन्य पैक्ड पेय / खाद्य सामग्री	MRP
85.	पाव भाजी	80-00
86.	वेज कटलेट 2 पीस	60-00
87.	ढोकला 4 पीस	25-00
88.	भजिया मिक्स	50-00
89.	पनीर पकोड़ा	80-00
90.	वेज वर्गर	50-00

नोट– उक्त सूची में उल्लेखित सामग्रियों की मात्रा गुणवत्तायुक्त एवं बजार में प्रच्चलित मात्रा अनुसार देना अनिवार्य होगा।

31. निविदाकार को शर्त क्रं. 30 में दर्शाई गई सामग्री के अतिरिक्त यदि कोई खाद्य सामग्री विक्रय करनी होगी तो प्रथम पक्ष से उसकी अनुमति लेना होगी तथा उनकी दरें प्रथम पक्ष की सहमति से निर्धारित की जावेंगी।

32. कैंटीन में मादक पदार्थों एंव गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, बीडी आदि का सेवन / विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐंसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जा सकेगा।

33. कैन्टीन हेतु संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के भूतल एवं सुपरस्वेशिलिटी ब्लॉक के परिसर में स्थान उपलब्ध है, जिसका निरीक्षण इच्छुक निविदाकार निविदा डालने के पूर्व अधीक्षक की अनुमति से कर सकते हैं।

34. भविष्य में यदि भारत शासन/राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त फर्म को कंेटीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु नामित किया जाता है, तो 01 माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। तथा इसके विरूद्ध निविदा कार किसी भी न्यायालय अथवा अन्य फोरम में दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।

35. समस्त विवाद रीवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निपटारित किए जावेंगे।

36. निविदाकार द्वारा असत्य जानकारी कूट रचित दस्तावेजों इत्यादि के माध्यम से ठेका प्राप्त करने पर निकटतम थाने में धारा 420 एवं अन्य धाराओं के तहत् अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर ठेका निरस्तगी की कार्यवाही की जावेगी।

18/11/2022

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

12/11/22

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	अमानत राशि रूपये 20000.00 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased)				
3.	फर्म / संस्था के रजिस्ट्रेशन।				
4	वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 19–20(एसेसमेंट ईअर 2019–20 एवं 20–21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।				
6.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रू 05.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिये वित्तीय वर्ष 2019–20,(एसेसमेंट ईयर 2020–21) सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)				
8	एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।				
9	खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।				
10	100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराईज्ड घोषणा पत्र				
11	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो निविदा प्रकाशन दिनांक के पश्चात् जारी किया गया हो।				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/- रूपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नही है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. **गवाह का नाम..................................**
   .व पता......................

संस्था के सक्षम अधिकारी का नाम................. ....
पता..

2. **गवाह का नाम.................................**
   व पता.....................................

संस्था का नाम एवं पता..
..

मोबाईल नं

ई-मेल-

बैंक खाता क.

आई.एफ.एस.कोड

12/1/22

(केवल आनलाईन भरा जावे)

(दर पत्रक)

द्वारा :–...
....
....
....
....

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय
रीवा म.प्र.

विषयः– कैन्टीन व्यवस्था हेतु निविदा ।

संदर्भः– आपके कार्यालय की ई–निविदा आमंत्रण सूचना क......................................दिनांक

महोदय,

कैन्टीन व्यवस्था हेतु निविदा के निबंधन एवं शर्तो को मान्य करते हुए अपनी मासिक किराया हेतु निम्नानुसार दरें प्रस्तुत कर रहा हूं ।

कैन्टीन का मासिक किराया रू.

<u>नोटः–</u> कैन्टीन का मासिक किराया मिनिमम रिजर्व **25000.00 (पच्चीस हजार प्रतिमाह एसजीएमएच एवं एसएसबी हेतु)** होगा, इससे अधिक राशि भरने वाले जिस निविदाकार की दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।

निविदाकर्ता / सेवादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पूर्ण पता
संस्था की सील

12/1/22